मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/9/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5-1-2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के निगमों / उपक्रमों/ स्वाशासी संस्थाओं / मंडलों /निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से का प्रत्यावर्तन (Restoration)

• • •

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक -एफ.बी. 17/1/आर-2/1/55, दिनांक 31-7-1985 के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का 1/3 हिस्सा कम्यूट कराया है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के अगले माह से पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित किया जाता है । यह व्यवस्था दिनांक 1.7.85 से प्रभावशील है । मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1996 में दिनांक 18.2.2000 से संशोधन के फलस्वरूप ऐसे किसी भी पेंशनर का, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, उस मास के, जिसमें वह 75 वर्ष की आयु पूर्ण करता है या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात्, जो भी पश्चातवर्ती हो, उसके आगामी मास के प्रथम दिन को उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित (Restore) हो जायगा ।

2/ राज्य शासन के निगमों / उपक्रमों/ स्वाशासी संस्थाओं / मंडलों /निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होने संविलियन की तिथि पर अपनी सम्पूर्ण पेंशन के 1/3 हिस्से के कम्यूटेड मूल्य के साथ 2/3 पेंशन को समर्पित करते हुये एकमुश्त राशि (अर्थात 100% कम्यूटेड मूल्य) प्राप्त कर लिया है, उन्हें वित्त बिभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 31-7-1985 के अनुसार पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) की पात्रता नहीं है । केन्द्र सरकार ने ऐसे पेंशन भोगियों को, जिनका संविलियन केन्द्र सरकार के निगमो / उपक्रमों में हुआ है एवं जिन्होने 1/3 हिस्से के कम्यूटेड मूल्य के साथ 2/3 पेंशन को समर्पित करते हुये एक मुश्त राशि (अर्थात 100% कम्यूटेड मूल्य) प्राप्त कर लिया था, उनकी 1/3 पेंशन को दिनांक 1-4-85 अथवा कम्यूटेशन की तारीख से 15 वर्ष, जो भी बाद में हो, से प्रत्यावर्तित (Restore) करने का निर्णय लिया है ।

3/ शासन ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि ऐसे संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होने अपनी पेंशन मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम,1976 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्यूट कराई है, को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एवं दिनांक 18.2.2000 के

बाद के मामलों में 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात् जो भी पश्चातवर्ती हो, उसके आगामी मास के प्रथम दिन से पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) का लाभ दिया जाए ।

4/ राज्य शासन के ऐसे संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारी जो केन्द्र / राज्य शासन के निगम /उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय आदि में संविलियनित हुए हैं, जहाँ पेंशन की योजना संचालित है एवं जिनके मामलों में 100% कम्यूटेड मूल्य जमा किया जाकर राज्य शासन की सेवा को सम्मिलित कर निगम /उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय आदि से पेंशनरी लाभ प्राप्त किए हैं, उन्हें राज्य शासन की सेवा की पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) का लाभ देय नहीं होगा ।

5/ राज्य शासन के निगमों / उपक्रमों / स्वशासी संस्थाओं / मण्डलों / निकायों आदि में संविलियनित ऐसे कर्मचारियों को कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से को प्रत्यावर्तित (Restore) करने के लिए संलग्न प्ररूप में अपने उस कार्यालय को जहाँ से सेवानिवृत्त होकर पेंशन का कम्यूटेड मूल्य प्राप्त किया है, आवेदन करना होगा ।

6/ ऐसे प्रकरणों में जहाँ संविलिनियत शासकीय सेवक जिन्होने दिनांक 1-7-85 को अथवा उसके पश्चात कम्यूटेशन के दिनांक से 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और बाद में मृत हो गये हैं उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन करने पर दिनांक 1-7-85 अथवा कम्यूटेशन के दिनांक से 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, संविलिनियत कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक तक एरियर्स प्राप्त करने के पात्र होंगे । इस प्रयोजन हेतु वैद्य उत्तराधिकारियों को उस कार्यालय को निर्धारित प्ररूप में आवेदन करना होगा जहाँ से संविलिनियत कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था ।

7/ संबंधित कार्यालय पेंशनर के स्वत्व का सुसंगत अभिलेखों से सत्यापन कर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन / कोषालय अधिकारी को भुगतान आदेश (P.P.O.) जारी करने के लिए प्रकरण प्रेषित करेगा ।

8/ संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन / कोषालय अधिकारी प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर पेंशन के 1/3 प्रत्यावर्तित हिस्से का पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) जारी करेगा ।

9/ संविलियन के समय स्वीकृत मूल पेंशन काल्पनिक रूप से वित्त विभाग के निम्नलिखित आदेशों के प्रकाश में पुनरीक्षित की जावेगी :-

1. F.B.-6-3-(iii)-87/नियम-2/चार, दिनांक 27-10-87
2. F.B.-6-1-/89/ R- II/ IV दिनांक 25-1-1989
3. एफ-बी-6/4/88/नि-2 /चार, दिनांक 31-3-1989
4. F.B.-6-1(i)/90/ R- II/ IV Dated 23-1-1990
5. F.B.-6/(iii)/90/ R- II/ IV Dated 5-2-1990

6. B.-25/6/98/ PWC/ IV (भाग-2) दिनांक 14 जुलाई, 1998.

उपरोक्त आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित की गई पेंशन के 1/3 हिस्से की गणना कर प्रत्यावर्तन (Restoration) की कार्यवाही की जावेगी । कम्यूटेड पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) के दिनांक पर न्यूनतम पेंशन का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा । अर्थात गणना करने पर कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा न्यूनतम पेंशन से कम आता है तो कम राशि की ही पात्रता होगी ।

10/ पुनरीक्षित पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) का लाभ कम्यूटेड हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) के दिनांक से देय होगा ।

11/ महँगाई राहत पुनरीक्षित पूरी पेंशन (Full pension) पर देय होगी अर्थात वह पुनरीक्षित पेंशन जो संविलिनियत कर्मचारी की 1/3 कम्यूटेड हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) के दिनांक को प्राप्त हुई होती यदि उसने संविलियन पर एक मुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता ।

12/ पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा इन प्रकरणों में भुगतान अधिकृत किये जाने हेतु पी.पी.ओ. तैयार करते समय पी.पी.ओ.के ऊपर स्पष्टतः "निगमों / उपक्रमों / स्वशासी संस्थाओं /मण्डलों / निकायों आदि में संविलियनित " लिखा जाय तथा पी.पी.ओ. में मूलतः स्वीकृत पूरी पेंशन एवं पेंशन के 1/3 कम्यूटेड हिस्से का भी उल्लेख किया जाय ।

13/ कम्यूटेड पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन (Restoration) के मामलों में संविलिनियत कर्मचारी के परिवार के सदस्य राज्य शासन से परिवार पेंशन की मांग करने के पात्र नहीं होगें क्योंकि शासकीय सवेक के संविलिनियन पर परिवार पेंशन की पात्रता के संबंध में शासकीय सेवक पृथक निर्देशों से शासित होते हैं । अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि संविलिनियत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को पी.पी. ओ. में परिवार पेंशन भुगतान के बारे में कोई उल्लेख न किया जाय ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रपत्र

प्रति,

विभाग /कार्यालय का नाम
(पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी)

विषय- राज्य शासन के निगमों /उपक्रमों / स्वशासी संस्थाओं / मंडलों / निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से का प्रत्यावर्तन (Restoration) .
(- -)

• • •

महोदय,

मेरे द्वारा ----------------------------------(संस्था का नाम) में संविलियन पर 100% कम्यूटेड मूल्य की राशि एक मुश्त प्राप्त की गई है । वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक -------------------------दिनांक--------- में निहित शर्तों के अधीन कम्यूट की गई पेंशन का 1/3 हिस्सा प्रत्यावर्तित (Restore) किये जाने का अनुरोध है ।

2/सुसंगत अभिलेखों सहित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

1-	नाम--	---- - - - - - - -
2-	जन्म दिनांक -	- - - - - - - - - - - -
3-	उस कार्यालय का नाम जहाँ संविलियन के पूर्व कार्यरत थे ।	- - - - - - - - - - - - - -
4-	अर्हकारी सेवाओं के विवरण :-	
(अ)	शासकीय सेवा में कार्यभार गृहण करने का दिनांक	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
(ब)	संविलियन के फलस्वरूप शासकीय सेवा छोडने का दिनांक	- -
(स)	शासन के अन्तर्गत की गई कुल अर्हकारी सेवा जो संविलियन पर अनुपातिक पेंशन स्वीकृत की जाने हेतु हिसाब में ली गई थी	- -
5-	राज्य शासन के निगम/उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय में संविलियन का दिनांक (संविलियन की निबंधन एव शर्तों की एक प्रति संलग्न की जाय)	- -
6-	संविलियन के समय राज्य शासन के अन्तर्गत धारित पदनाम/मूलवेतन/वेतनमान	- -
7-	संविलियन के समय आयु -	--- - - - - - - - - - - - -
8-	स्वीकृत अनुपातिक पेंशन की राशि (प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न की जाय)	- - - - - - - - - - - - - -
9-	कम्यूट की गई पेंशन की राशि एवं भुगतान का दिनांक	- - - - - - - ---- ----
	प्राधिकारी जिसके द्वारा भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया गया	- - - - - - - - - - - - - - - - - -

आवेदक के हस्ताक्षर

वचन - पत्र

मै---एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है । मैं समझता /समझती हूं कि बाद में यह जानकारी असत्य अथवा अशुद्ध पाई जाने की स्थिति में, मैं पेंशन की पूरी प्रत्यावर्तित राशि एवं महँगाई राहत राशि शासन को प्राप्ति के दिनांक से वापिसी के दिनांक तक सामान्य भविष्य निधि के लिये लागू दर से ब्याज सहित एक मुश्त वापिस करने के लिये बाध्य रहूंगा / रहूंगी ।

दिनांक---------------

पत्राचार का पता-----------------------

आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमांक : एफ 9-9/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 जनवरी, 2007

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सेना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—1522—असविविभो—1-2-2007—1000.